

## कार्यालय अधिष्ठाता

**गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर-474009 (म0प्र0)**

क्रमांक.....स्था.राज / 19

ग्वालियर, दिनांक.०४.११.२०१९

**४००१८**

**// विज्ञापन //**

संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल के आदेश क्र. 2678 / स्था / राज / 2010 दिनांक 19.10.2010 में प्रदत्त अनुमति के आधार पर गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर द्वारा पूर्व निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर जूनियर रेजीडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) ३ वर्ष हेतु भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु दिनांक 04.10.2019 की स्थिति में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। साक्षात्कार दिनांक 09.10.2019 है। प्रथम नियुक्ति एक वर्ष हेतु की जावेगी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के अनुंशंसा एवं स्पष्ट अभिमत पर एक वर्ष हेतु आगे बढ़ाई जावेगी।

**जूनियर रेसीडेन्ट (नियुक्ति वेतन रु. 45,000/- प्रतिमाह)**

विभाग	कुल रिक्तपद	अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिव
मनोरोग	01	01	00	00	00
न्यूरोसर्जरी विभाग	03	02	01	00	00
अस्थिरोग ट्रॉमा	02	02	00	00	00
निश्चेतना ट्रॉमा	02	02	00	00	00
न्यूरोसर्जरी ट्रॉमा	03	02	01	00	00
<b>कुल</b>	<b>11</b>	<b>09</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

जूनियर रेसीडेन्ट पद हेतु वॉक इन इंटरव्यू नोटिस जारी होने के उपरान्त पद भरने तक प्रत्येक सोमवार (कार्य दिवस) को प्रातः 10:30 से 05:30 बजे तक गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेंगे। 05:30 बजे के पश्चात् आवेदन पत्र नहीं लिये जावेंगे। एवं मंगलवार को प्रमाण पत्रों की स्कूलनी का कार्य आरम्भ होगा। तत्पश्चात् साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्र. एफ-4-7/2/55 दि. 25.08.2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातक छात्र जिनका चयन जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्तें लागू हो जाएंगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

**नोट:-**

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार होगा।
2. पदों की स्थितियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित हैं तथा प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित हैं।
4. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।

**यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-**

1. अवधि : जूनियर रेसीडेन्ट की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष होगी। इनकी प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएंगी।
2. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./डिप्लोमा सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरान्त किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
3. आवेदन शुल्क : जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 750/- (सात सौ पचास) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 500/- (पाँच सौ) राशि का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के नाम देय होना चाहिये। बैंक ड्राफ्ट के पार्श्वे अध्यर्थी को पाया जाना विषय का नाम पता एवं फोन लिखना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में

4. शैक्षणिक योग्यता : जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनांक से पिछले तीन वर्ष के अन्दर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे ही इस पद के पात्र होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी चिकित्सकों को डिप्लोमा के ऊपर वरीयता दी जाएगी। जूनियर रेसीडेंट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने इसी महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

5. संरक्षा द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

6. यात्रा भत्ता : साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

#### अन्य शर्तें :

- इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेंट्स से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
- उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
- सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संरक्षा में कार्यरत है उस संरक्षा का अनापत्ति / त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कॉसिल अथवा मेडिकल कॉसिल ऑफ इण्डिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
- साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्कूटनी समिति के समर्क्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी०एम०टी०/पी०जी० फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरुद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है, यदि इनके विरुद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरुद्ध प्रकरण पुलिश में दर्ज है तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- साक्षात्कार के समय यदि विभाग में ओबीसी पद रिक्त है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा।
- बॉण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बॉण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग / नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है/आई है किन्तु मैंने अपनी ज्योनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बॉन्ड के बदले जूनियर रेसीडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

11

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय

स्वशासी संस्था, ग्वालियर (म०प्र०)

ग्वालियर, दिनांक ५५/१०/८५

क्रमांक..... ४००१७-२९  
स्थान/ १९

प्रतिलिपि :

- संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चर्स्पा करने हेतु।
- समस्त नोटिस बोर्ड, चिकित्सा महाविद्यालय / चिकित्सा छात्रावास / लाइब्रेरी।
- पुस्तकालय की ओर जी.आर.एम.सी.की बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय

A स्वशासी संस्था ग्वालियर (म०प्र०)